this. What does the hon. Minister intend to do to really fulfil the target and to accomplish the real mission of the DRDO, at the earliest, by removing all the defects in the whole mechanism of the DRDO?

SHRI A.K. ANTONY: I fully agree with the hon. Member that the Arjun Tank took a lot of time. It took 36 years to reach this stage. But, now, we must be happy that, at least, after 36 years India is having its own battle tank. I would like to submit one thing that a country, like, India, cannot always depend on foreign supplies. At the moment, we are importing more than 70 per cent of our equipments from other countries. So, too much dependence on other countries is not good for India, whether it is 'x' country or 'y' country. We must have, at least, seventy per cent indigenous products. We can have a maximum of 30 per cent import. That is our aim. You have asked about the defects in the Arjun Tank. The Army and the DRDO have jointly worked out a plan to rectify those defects. And, I am sure, with their joint efforts they would be able to remove those defects in the near future; and, ultimately, we would be able to induct the Arjun Tank into the Army.

SHRI PRAKASH KESHAV JAVADKAR: Mr. Chairman, Sir, the hon. Minister has not answered my question. I was not only on the Arjun Tank. I was pointing out about the whole of the DRDO; the shortcomings in the organization; delay in plans; cost overruns; quality that we want to have; programme of indigenous defence material availability are not according to the schedule. What is the hon. Minister going to do to rectify the situation in the DRDO?

SHRI A.K. ANTONY: Sir, what the hon. Member is saying is absolutely correct. There is inordinate delay in the case of certain projects, but, at the same time, there are dozens of success stones also with the DRDO. The Government is trying to encourage our scientists; and also to find a solution to the delay. The Government has appointed a Committee headed by Shri P. Rama Rao. They gave a report for the reorganisation of the DRDO, and it is in the process of implementation.

## Repealing of JPM Act, 1987

\*63. SHRI NATUJI HALAJI THAKOR:

SHRI VIJAYKUMAR RUPANI: ††

Will the Minister of TEXTILES be pleased to state:

- (a) whether Government is considering repealing the Jute Packaging Materials (Compulsory Use in Packing Commodities) Act, 1987 in view of the fact that 21 years have passed since the enactment of JPM Act, 1987 and during this period, jute industry has grown sufficiently;
- (b) whether it is a fact that the Gujarat High Court on 20 November, 2006 directed Government to publish the fresh Notification for dilution of 100 per cent jute monopoly; and
- (c) if so, the action taken by Government on the orders of the Gujarat High Court to repeal the JPM Act, 1987 for dilution of 100 per cent jute packing for foodgrains and sugar?

<sup>††</sup>The question was actually asked on the floor of the House Shri Vijayk Kumar Rupani

THE MINISTER OF TEXTILES (SHRI SHANKERSINH VAGHELA): (a) No Sir.

- (b) No Sir.
- (c) Does not arise.

श्री विजय कुमार रूपाणी: सभापित महोदय, 1987 से जूट इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए एक अधिनियम बनाया गया था। करीब 21 साल से ज्यादा वक्त बीत चुका है। जूट इंडस्ट्री को सेव करना चाहिए इससे हम असहमत नहीं हैं लेकिन इसके कारण प्लास्टिक इंडस्ट्री सफर कर रही है और वह सिक इंडस्ट्रीज़ बहुत दिनों से डिमांड कर रही है कि जो 100 प्रतिशत बैन किया है - फूडग्रेन्स और शुगर के जो थैले बनते है, उसके लिए सिर्फ जूट का ही प्रोविजन है - उसमें 20 परसेंट, 25 परसेंट, 30 परसेंट रिलेक्सेशन दिया जाए जिससे प्लास्टिक इंडस्ट्री को भी सेव कर सकें और जूट इंडस्ट्री को भी कोई नुकसान न हों। महोदय, गुजरात में बहुत सारी पॉलिमर इंडस्ट्रीज़ इसके कारण सिक हो गयी हैं। इसके लिए स्टेंडिंग कमेटी ने भी रिकमेंड किया है, गुजरात हाई कोर्ट ने भी रिकमेंड किया है कि इसमें रिलेक्सेशन कीजिए लेकिन सरकार ऐसा नहीं कर रही है।

श्री शंकर सिंह वाघेला: चेयरमैन सर, 1987 जूट पैकेजिंग एक्ट के अनुसार हर साल, जूट या प्लास्टिक का बैग्स में कितना कॉम्बीनेशन होना चाहिए, स्टेंडिंग एडवाइज़री कमेटी मिलती है और इस संबंध में फैसला करती है। यह सही है कि कुछ लोग गुजरात हाई कोर्ट में गए थे। मैं वेस्टर्न सेक्टर से हूं जहां प्लास्टिक का ज्यादा आधिपत्य है लेकिन ऐज़ ए मिनिस्टर और नेशनल जूट पॉलिसी में भी हमने कहा था कि शुगर और फूडग्रेन्स में जूट बैग्स को प्रायोरिटी दी जाए। यह ईको फ्रेंडली होता है, environmentally भी अच्छा होता है। चाहे नॉर्थ, ईस्ट, पश्चिमी बंगाल या आंध्र प्रदेश में हो, अभी भी स्टेंडिंग ऐडवाइज़री कमेटी ने रिकमेंडेशन किया और उसके बाद केबिनेट में ले जाकर, जब से यूपीए सरकार बनी है, तब से हमने पैकेजिंग एक्ट के हिसाब से शुगर और फूडग्रेन्स में जूट के बोरे का उपयोग 100 प्रतिशत होना चाहिए, ऐसा कहा है। आज भी वह इम्प्लीमेंटेशन में है और 2009 तक वह रहेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इतना होने के बावजूद भी जूट प्रोडक्शन और बैग्स की अवेलेबिलिटी को हम पूरा नहीं कर पाएंगे। एफसीआई मांगेगा, पंजाब गवर्नमेंट मांगती है जिसके मुकाबले में जूट प्रोडक्शन कम है। जूट ग्रोअर्स के लिए, मैं समझता हूं कि यह पॉलिसी फायदेमंद है और उसका काफी फायदा जूट ग्रोअर्स को होता है।

श्री विजय कुमार रुपाणी: सर, जैसा मंत्री जी ने ईको फ्रेंडली के संबंध में बताया। फूडग्रेन्स की अगर हम बात करें तो जूट के कारण भी अनाज सड़ जाता है। इसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी पॉलिमर इंडस्ट्री चाहिए। आपने जो बताया कि जूट इंडस्ट्रीज उनको 100 प्रतिशत सप्लाई नहीं कर सकती। हम केवल इतना चाहते हैं कि 20-25 प्रतिशत उसमें रिलेक्सेशन हो जाए जिससे दोनों इंडस्ट्रीज बच सकें। एक तरफ हम इंडस्ट्रीज को बढ़ावा दे रहे हैं और दूसरी तरफ इस अधिनियम के कारण जो फंडामेंटल राइट है कि वे जो बनाएं उनका उपयोग होना चाहिए, वह नहीं हो रहा है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि वह मानव के लिए हानिकारक है। इसलिए जो अधिनियम बनाया है, आज 21 साल के करीब बीत चुके हैं, वह गलत है। आज तक जूट इंडस्ट्री को जितना फायदा होना था, वह हो गया है। इसलिए पॉलिमर इंडस्ट्रीज़ को सेव करने के लिए, उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए इसमें बदलाव होना चाहिए। इसके बारे में सरकार क्या सोचती है?

श्री शंकर सिंह वाघेला: सर, जो प्लास्टिक का मामला है, इसमें जूट का सिर्फ फूडग्रेन्स - अनाज और शुगर - के लिए रिज़र्वेशन है। बाकी सीमेंट में प्लास्टिक का उपयोग होता है, फर्टीलाइज़र में प्लास्टिक का उपयोग होता है। प्लास्टिक का उपयोग दुनिया भर में हो लेकिन दो चीजें ऐसी हैं जिसमें ह्यूमेन काइंड का इनवॉल्वमेंट है जो अनाज और चीनी हैं। इन दोनों के लिए रिज़र्वेशन रखा है। अभी भी जितने बोरे सप्लाई करने हैं, वे पूरे नहीं हो पाएंगे, इसलिए हो सकता है कि आने वाले दिनों में प्लास्टिक का उपयोग ज्यादा हो सके।

SHRI MOINUL HASSAN: Mr. Chairman, Sir, it was a very interesting answer. All the three answers are in negative. So far as my question is concerned, two parts are there. Part (a) is: I would like to know from the hon. Minister, through you, Sir, whether there is any possibility of diluting the present situation, which will go up to 2009, of using 100 per cent jute packaging for foodgrains and sugar. Part (b) of my question is this. We are facing some problems, particularly, in the border areas of West Bengal, because jute from Bangladesh, the neighbouring country, is coming across the border. Sir, our jute is of better quality. Still, one of the districts is, actually, flooded by the Bangladeshi jute. May I know from the hon. Minister, through you, Sir, what action the Government is going to take to protect the jute growers of India?

श्री शंकर सिंह वाघेला: चेयरमैन सर, पहली जो बात इन्होंने कही कि यह हमारी जो यू.पी.ए. सरकार का कॉमन मिनिमम प्रोग्राम रहा है, इसमें जो हमने नेशनल जूट पौलिसी 2005 में डिक्लेयर की थी कि,

"The Government will ensure a reasonable market for jute products by continuing the on-going policy of reserving foodgrains and sugar to be packed in the packaging material made from jute."

में समझता हूं कि जब तक यह सरकार रहेगी तथा उसकी रुटीन टर्म पांच साल जून, 2009 तक पूरी होगी, तब तक इस पैक्ट का इम्प्लीमेंटेशन रहेगा। अभी कोर्ट का कोई मामला इसमें बीच में नहीं आया है। मैं समझता हूं कि जो पांच साल के प्रोमिसेज हमने दिए थे, वह पूरे हो जाएंगे। शुगर, फूडग्रेंस में हण्ड्रेंड परसेंट के रिजर्वेशन के बारे में कोई प्रोब्लम नहीं होगा। इन्होंने बंगला देश की भी बात बताई, मैं कहूंगा कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट अपने बोर्डर के ऊपर और साथ ही भारत सरकार भी चिंता करती है। कभी-कभी चायनीज का सिल्क भी कहीं इंपोर्ट हो जाता है तथा ब्लैकमार्केट से उसमें रमगलिंग भी होती है। मैं समझता हूं कि बंगला देश का जूट भी कहीं-कहीं आता होगा। हमारी ओर से जूट ग्रोअर्स के हिसाब से जो टेक्नोलॉजी मिशन ऑन जूट है, एक-दो गवर्नमेंट ऑफ एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के पास हैं और तीन-चार हमारे पास है, इसमें हमने इनको तकरीबन 260 करोड़ रुपए स्पेशल आधुनिक तथा एकदम मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए एलौट किए हैं, तािक जूट ग्रोअर्स को फायदा हो, प्रोसेस में फायदा हो और मार्केट यार्ड में फायदा हो।

श्री शरद यादवः सभापित जी, जूट के जो किसान हैं उनकी बुरी हालत है। माननीय सदस्य पूछ रहे थे कि यह बंगलादेश से आ रहा है। लेकिन बंगला देश में जूट के किसानों को प्रोटेक्शन है। यहां जूट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया कई वर्षों से बंद है। जिस इलाके - कोसी में पानी आया हुआ है, वहां सबसे ज्यादा जूट का उत्पादन होता है। वहां एक स्थान पर भी आपकी खरीद नहीं चलती है। जो लोग पौली बैग की बात कह रहे हैं, मैं मानता हूं कि प्लास्टिक से इस देश की जमीन तबाह तथा बर्बाद हो जाएगी। मैं टेक्सटाइल्स मिनिस्टर रहा हूं, मुझे मालूम है कि पौली बैग की जो लॉबी है, यह कितना माथा मारती है। इतने धंधे हैं, इतने काम हैं, तो हर चीज में तथा शुगर में भी आप जूट को लाइए और किसानों का जो आपका सीमेंट है या और चीजें हैं उसमें भी आप जूट को लेने का काम करिए। जूट के जो ग्रोअर्स हैं, फार्मर्स हैं उनकी बहुत बुरी हालत है इसलिए इसको उन्होंने छोड़ दिया है। असली बात यह है कि उनकी खरीद नहीं होती है तथा उनका माल भी बहुत किनाई से पैदा होता है। इसलिए में मंत्री जी से कहूंगा कि इस पर थोड़ा ध्यान देंगे, क्योंकि आप भी किसान हैं और इस देश में इस मामले में किसानों की बहुत बुरी हालत है। इससें वे ज्यादा बिहार की तरफ थे, बंगाल की तरफ थे। अगर आप उस पर जोर देंगे तो देश का भी हित होगा और इससे एंवॉयरेंमेंट भी बचेगा। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो पौली बैग वाले लोग हैं, उनकी एक लौबी है और ये हमेशा हम लोगों को चेज करते हैं, पकड़ते हैं तथा बीस तर्क करते हैं। इसलिए इनकी बात को सुनने का काम कभी नहीं किया जाए। और चीजों में जहां लग रहा है उसको बंद करके, अपना जो एंवॉयरेंमेंटल फ्रेंडली मेटीरियल है उसका इस्तेमाल होना चाहिए। तो किसानों के लिए इसमें आप क्या योजना बनाएंगे?

श्री शंकर सिंह वाघेला: सर, मैं माननीय सदस्य का आभारी हूं कि जब तक वह मंत्री रहे तब भी जूट के हिमायती थे और आज भी जूट के हिमायती हैं। मैं समझता हूं कि जूट का जितना भी उपयोग हो, फाइव स्टार होटल्स में भी उपयोग हो, वे लोग अपने न्यूज पेपर्स की पैकेजिंग भी जूट में करके भेजते हैं, वे कोई मैटेरियल भी देते हैं, तो उसे भी जूट बैग में देते हैं। इसके लिए मार्केटिंग के हिसाब से जितना प्रचार करना चाहिए, उतना प्रचार हम कर रहे हैं।

जेसीआई के बारे में आपने फरमाया है, मैं उसके बारे में कहूंगा कि जेसीआई के 172 प्रोक्योरमेंट सेंटर हैं। एमएसपी जो 2004 में 860 रुपए थी, हमने आज एमएसपी 1055 रुपये इनको दी है। जहां भी पूरे देश में जरुरत पड़ती है, उसके लिए रिजर्व स्टॉक है। जहां भी एमएसपी की जरुरत पड़ेगी, उसके लिए जेसीआई तैयार रहती है, वह कामिशयल ऑपरेशन्स करती है और मैं समझता हूं कि किसानों के हित में जितना भी हो सकेगा, उसके लिए जेसीआई हमेशा एक्टिव रहती है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि वेस्ट बंगाल और आंध्र प्रदेश में और भी सेंटर खोलने की हमारी तैयारी है। किसानों की मांग पर हमने एमएसपी भी काफी बढ़ाया है। मैं समझता हूं कि मिनीमिशन तीन और चार का फायदा, एक और दो का फायदा उनको मिलेगा। हम वेस्ट बंगाल सरकार से भी परिचय में हैं कि आप भी हमको मार्केट यार्ड में जगह दीजिए, जो भी सुविधा किसानों के लिए मिल सकती है, वह दीजिए। यह प्रोसेस में है और मैं समझता हूं कि इसका फायदा किसानों को, टेक्नालॉजी मिशन ऑन जूट एक, दो, तीन और चार का इनको मिल रहा है। मैंने अभी बताया कि 260 करोड़ का खर्चा इसमें होगा। यदि पैसे कम पड़ेंगे, तो सरकार और भी ज्यादा सुविधा उपलब्ध करवाएगी।

श्री राजनीति प्रसादः सर यह विचित्र जवाब है, आ ALJ में No, No, does not arise, सवाल का ऐसा जवाब मैंने कभी नहीं पढ़ा है। सर, मैं बताना चाहता हूं कि बिहार में जूट की कई मिल्स हैं, लेकिन सभी जूट की मिल्स बंद है। क्या मंत्री महोदय, जूट की उपयोगिता के बारे में, जूट की पैकेंजिंग करने के बारे में कुछ विस्तारपूर्वक विचार करेंगे, तािक हमारी जो जूट की पैदावार है, जूट की जो मिल हैं, वे समानान्तर तरीके से चलें? सर, मेरा सवाल है कि जब प्लास्टिक नहीं था, तब केवल जूट का ही यूज होता था। अभी माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि प्लास्टिक का यूज करो, लेकिन बहुत सारी कोर्ट्स ने डायरेक्शन दिया है कि प्लास्टिक का यूज थोड़ा कम करिए, क्योंकि वह गलत नहीं है और पाल्युशन कंट्रोल का मामला बनता है। सर, अगर जूट का उत्पादन बढ़ेगा, अगर जूट को बढ़ावा मिलेगा, तो फैक्ट्री भी चलेंगी और उसकी पैदावार भी बढ़ेगी। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या इस पर कोई ज्यादा विशेष ध्यान देने की जरूरत है?

श्री शंकर सिंह वाघेला: सर, जैसा सवाल पूछा जाता है, जवाब उसके अनुसार देना पड़ता है। अगर उसका जवाब नेगेटिव है, तो No होगा, No होगा और जब उसमें does not arise होगा, तो does not arise होगा, उसमें में अपने हिसाब से तो कुछ कह नहीं सकता।

आपने जो बिहार के बारे में फरमाया है। सर, हमारी गवर्नमेंट की तीन मिलें पब्लिक अंडरटेकिंग में हैं, एक मिल खर्दा, वेस्ट बंगाल में है और एक कटिहार, बिहार में है। न्यू कोर्स में हम कटिहार की जूट मिल को चालू करने जा रहे हैं। वेस्ट बंगाल की खर्दा भी चालू होगी और कटिहार की मिल भी चालू होगी। मैं समझता हूं कि यह प्रोसेस में है और शायद एकाध महीने में केबिनेट की ओर से क्लियरेंस हो जाएगा। इसलिए बिहार के कटिहार में हमारा इरादा एक मिल को चालू करने का है, शायद एकाध महीने में उसका पॉजिटिव रेसपांस आएगा।

```
MR. CHAIRMAN: Next question. Question No. 64. ... (Interruptions)...
```

```
SHRI TIRUCHI SIVA: Sir, it is irrelevant. ... (Interruptions)...
```

MR. CHAIRMAN: Please. ... (Interruptions)...

DR. V. MAITREYAN: Sir, before the hon. Member puts his question, I want a small clarification\* ...(Interruptions)...

SHRI TIRUCHI SIVA: He cannot raise it. ... (Interruptions)...

MR. CHAIRMAN: Dr. Maitreyan, please. ...(Interruptions)... No asides please. ...(Interruptions)... Please. ...(Interruptions)... Hon. Members, please do not bring extraneous matters into the Question Hour. ...(Interruptions)... Please sit down. ...(Interruptions)...

MR. CHAIRMAN: Please resume your places. ...(Interruptions)... Allow your colleague to ask the question. ...(Interruptions)... Please. ...(Interruptions)... Will you please resume your place? ...(Interruptions)...

SHRI N.R. GOVINDARAJAR: Sir, this is the first time in the history. ... (Interruptions)...\*

MR. CHAIRMAN: Please, resume your places. ... (Interruptions)...

SHRI A. ELAVARASAN: Sir, allow me to put my question. ...(Interruptions)...

SHRI N.R. GOVINDARAJAR: \*

MR. CHAIRMAN: Will you please resume your places? Please ...(Interruptions)... Do not raise extraneous matters during Question Hour. ...(Interruptions)...

SHRI TIRUCHI SIVA: Sir, ... (Interruptions)...

MR. CHAIRMAN: Are you asking the question? ...(Interruptions)... Have you asked the question? ...(Interruptions)... No. ...(Interruptions)... Please allow the answer to be made. ...(Interruptions)... Please do not bring extraneous matters in ...(Interruptions)...

SHRI TIRUCHI SIVA: Sir, it is irrelevant. ... (Interruptions)...

MR. CHAIRMAN: Please allow the answer to be made. ...(Interruptions)... Hon. Members, this is Question Hour. Please do not ...(Interruptions)...

SHRI TIRUCHI SIVA: Sir, the question must be expunged. ...(Interruptions)...

MR. CHAIRMAN: This is the Question Hour. Please sit down. ...(Interruptions)... Please do not bring in extraneous matters.

SHRI TIRUCHI SIVA: Sir, I would submit very humbly. ...(Interruptions)...

MR. CHAIRMAN: I would request the hon. Members to resume their places. This is the Question Hour. No extraneous matters will be brought into the proceedings. A question has been asked. Let the hon. Minister reply.

## Attack against fishermen by Sri Lankan Navy

- \*64. SHRI A. ELAVARASAN: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:
- (a) whether Government is aware that a number of attacks have been made against Tamil Nadu fishermen by the Sri Lankan Navy;
  - (b) if so, whether Government has taken any action in this regard;

<sup>\*</sup> Not recorded